अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

<u>साम्राज्ञी का राजपत्र</u>

(17 मार्च, 1866)

समस्त लोगों के धर्म की रक्षक एवं इस राजाज्ञा से संबंधित सभी लोगों को, संयुक्त राज्य ब्रिटेन एवं आयरलैंड की साम्राज्ञी, महारानी विक्टोरिया का अभिवादन:

जैसा कि विदित है, हमारे शासनकाल के चौबीसवें और पच्चीसवें वर्ष में, "भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियम" शीर्षक से संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। इसे, अन्य बातों के साथ-साथ, इसलिए अधिनियमित किया गया था कि संयुक्त राज्य की मुहर युक्त राजपत्र द्वारा, फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी, बंगाल के लिए, उक्त फोर्ट विलियम, बंगाल में एक उच्च न्यायालय का निर्माण एवं स्थापना करवाना विधिसम्मत होगा। ऐसे उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और पंद्रह से अनधिक ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें महारानी समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझें, और जिन्हें उक्त अधिनियम में निर्धारित योग्यताओं वाले व्यक्तियों में से चुना जाएगा। प्रावधान यह रहेगा कि ऐसे उच्च न्यायालय की स्थापना के समय जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसी प्रेसीडेंसी के सदर दीवानी अदालत या सदर अदालत के स्थायी न्यायाधीश हों, वे बिना किसी नई नियुक्ति के ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। यथा पूर्वोक्त, उक्त प्रेसीडेंसी के कलकत्ता स्थित, सर्वोच्च न्यायालय, सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत को समाप्त कर दिया जाएगा, और स्थापित होने वाले उच्च न्यायालय को सभी दीवानी, आपराधिक, एडमिरल्टी और वाइस-एडमिरल्टी, वसीयती और वैवाहिक मामलों के संबंध में, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे और उक्त प्रेसीडेंसी में न्याय प्रशासन के संबंध में वे सभी शक्तियां एवं प्राधिकार प्राप्त होंगे जो महारानी द्वारा पूर्वोक्त राजपत्र द्वारा प्रदान किया जाए और निर्देशित किया जाए, हालांकि ये शक्तियां एवं प्राधिकार प्रेसीडेंसी टाउन की सीमाओं के बाहर मूल दीवानी और आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए ऐसे निर्देशों और सीमाओं के अधीन होंगी, जो उक्त राजपत्र द्वारा विहित किए जाएं या अन्यथा निर्देशित किए जाएं तथा भारत के गवर्नर-जनरल इन काउंसिल की पूर्वोक्त मामलों से संबंधित विधायी शक्तियों के अधीन और

उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले उच्च न्यायालय के पास वे सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और वह उनका प्रयोग करेगा, जो उक्त अधिनियम के तहत समाप्त किए गए अंतिम न्यायालयों के उन्मूलन के समय, उस प्रेसिडेंसी के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार से निहित थे।

उक्त अधिनियम द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि भारत में महारानी के साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए, जो किसी अन्य उच्च न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, हमारे लिए उक्त राजपत्र द्वारा एक उच्च न्यायालय का निर्माण एवं स्थापना करवाना विधिसम्मत होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उक्त अधिनियम द्वारा उक्त प्रेसिडेंसी में स्थापित उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं वाले न्यायाधीशों की ऐसी संख्या होगी, जिन्हें हम समय-समय पर उचित समझकर नियुक्त करें। राजपत्र के निर्देशों के अधीन, उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान, जो उच्च न्यायालयों, ऐसे न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, और उस प्रेसीडेंसी के गवर्नर-जनरल या गवर्नर से संबंधित हैं जहाँ ऐसे उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, परिस्थितियों के अनुसार, उक्त क्षेत्रों में स्थापित होने वाले किसी भी नए उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, और उक्त क्षेत्रों का प्रशासन संभालने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे। विदित हो कि, उपरोक्त आधारों पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त, वेस्टमिंस्टर में हमारे शासन के पच्चीसवें वर्ष में, इसवी सन् एक हजार आठ सौ बासठ के मई माह के चौदहवें दिन, संयुक्त राज्य ब्रिटेन एवं आयर लैंड की मुहर के तहत जारी किए गए राजपत्र द्वारा, हम अपने उत्तराधिकारियों और वारिसों के लिए फोर्ट विलियम स्थित बंगाल प्रेसीडेंसी के बंगाल प्रभाग हेतु तदनुसार फोर्ट विलियम, बंगाल में उच्च न्यायालय का निर्माण एवं स्थापना करवाना समीचीन समझते हैं जिसे फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय, बंगाल कहा जाएगा और उक्त न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय नहीं होगा।

1. विदित हो कि, हमने परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करके, अपनी विशेष कृपा, ज्ञान और राजाज्ञा से, अपने उत्तराधिकारियों और वारिसों के लिए, पूर्वोक्त फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (एतस्मिनपश्चात 'उक्त क्षेत्र' के रूप में संदर्भित) के लिए एक उच्च न्यायालय का निर्माण एवं स्थापना करवाते हैं, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहा जाएगा और हम एतद्द्वारा उक्त न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय के रूप में गठन करते हैं।

2. हम एतद्द्वारा यह विहित एवं आदेशित करते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जब तक कि उक्त अधिनियम के अनुसार हमारे या हमारे उत्तराधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई और प्रावधान न किया जाए, एक मुख्य न्यायाधीश और पाँच न्यायाधीश होंगे, जिनमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन एस्क्वायर और पाँच न्यायाधीश एलेक्जेंडर रोज एस्क्वायर, विलियम एडवर्ड्स एस्क्वायर, विलियम रॉबर्ट्स एस्क्वायर, फ्रांसिस बॉयल पियर्सन एस्क्वायर और चार्ल्स आर्थर टर्नर एस्क्वायर होंगे, जो क्रमशः उक्त अधिनियम में घोषित योग्यताओं के अनुरूप योग्यता धारित करते हैं।

3. हम एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से पूर्व, गर्वनर-जनरल इन काउंसिल द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

“मैं, अमुक, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (या न्यायाधीश) नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूँगा/करूँगी।”

4. हम एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं और विहित करते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय के पास एक मुहर होगी, जिस पर हमारे राजसी प्रतीक चिन्ह और छाप अंकित होंगे और उसके चारों ओर एक आवरण या लेबल होगा, जिस पर, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुहर" अंकित होगा। हम आगे यह आदेश देते हैं और विहित करते हैं कि उक्त मुहर मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी और उनकी अभिरक्षा में रखी जाएगी, और मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त होने की स्थिति में या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के दौरान, इसे उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा और उसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा। हम आगे यह आदेश देते हैं और विहित करते हैं कि जब कभी मुख्य न्यायाधीश या उक्त मुहर के संरक्षक न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो उक्त उच्च न्यायालय को यह अधिकार और शक्ति प्रदान की जाती है कि वह उस मुहर को किसी भी व्यक्ति से मांग, जब्त या प्राप्त कर सके, चाहे वह मुहर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के कब्जे में क्यों न आई हो।

5. एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है तथा विहित किया जाता है कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग, जारी या अधिनिर्णीत की जाने वाली सभी रिट, समन, टिप्पणी, नियम, आदेश और अन्य आदेशिका हमारे या हमारे उत्तराधिकारियों के नाम से जारी की जाएंगी तथा उन पर उक्त उच्च न्यायालय की मुहर लगी होगी।

6. हम एतद्द्वारा उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर आवश्यकतानुसार और आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों और प्रतिबंधों के अधीन, न्याय प्रशासन और इस राजपत्र द्वारा उक्त उच्च न्यायालय को प्रदत्त और सौंपी गई सभी शक्तियों और प्राधिकारों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक क्लर्कों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत और अधिकृत करते हैं। हमें एतद्द्वारा अपने उत्तराधिकारियों और वारिसों को यह अनुमति, निर्देश और विहित करते हुए प्रसन्नता है कि उपर्युक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले सभी अधिकारियों और क्लर्कों को क्रमशः ऐसे उचित वेतन प्राप्त हों, जो मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर प्रत्येक पद और स्थान के लिए क्रमशः विहित करें तथा जिन्हें संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के उप-गवर्नर द्वारा, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के नियंत्रण के अधीन अनुमोदित किया जाए। उपर्युक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले सभी अधिकारी और क्लर्क अपने-अपने पदों पर रहने के दौरान उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर ही निवास करेंगे, परन्तु यह प्रावधान गवर्नर-जनरल इन काउंसिल द्वारा विहित नियमों के अंतर्गत किसी भी अधिकारी और क्लर्क द्वारा अवकाश लेने और उक्त नियमों के अनुसार अवकाश की अवधि के दौरान उक्त सीमा से बाहर रहने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसे प्रभावित नहीं करेगा।

अधिवक्तागणों, वकीलों और अटॉर्नियों का प्रवेश

7. हम एतद्द्वारा उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ऐसे और इतने अधिवक्ताओं, वकीलों और अटॉर्नियों को अनुमोदित करने, स्वीकार करने और नामांकित करने के लिए प्राधिकृत और सशक्त करते हैं, जो उक्त उच्च न्यायालय को उचित प्रतीत हो और ऐसे अधिवक्तागणों, वकीलों और अटॉर्नियों को उक्त उच्च न्यायालय के वादियों की ओर से उपस्थित होने और उक्त उच्च न्यायालय द्वारा अपने नियमों और निर्देशों के अनुसार निर्धारित तथा ऐसे नियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुए उक्त वादियों के लिए पैरवी करने या कार्य करने या पैरवी और कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

8. हम एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अधिवक्तागणों, वकीलों और विधि विदों के रूप में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रवेश के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा और उक्त अधिवक्तागणों, वकीलों या विधि विदों को उचित कारण पर वकालत से हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा और उक्त उच्च न्यायालय में किसी भी वादी की ओर से कार्य करने या पैरवी करने की अनुमति केवल ऐसे अधिवक्ताओं, वकीलों या विधि विदों को ही होगी, सिवाय इसके कि किसी वादी को अपनी ओर से या सह-वादी की ओर से उपस्थित होने, पैरवी करने या कार्य करने की अनुमति होगी।

उच्च न्यायालय का दीवानी क्षेत्राधिकार

9. यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे मुकदमे को, जो उसके अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, असाधारण मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में स्थानांतरित करने और उसकी सुनवाई एवं निर्णय करने का अधिकार होगा, जब उक्त उच्च न्यायालय पक्षकारों की सहमति से या न्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना उचित समझे, और ऐसा करने के कारणों को उक्त उच्च न्यायालय की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील

10. इसके अतिरिक्त, हम यह आदेश देते हैं कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश के निर्णय (जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित निर्णय न हो, और न ही यह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया गया कोई आदेश हो, और न ही यह भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 के प्रावधान के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में, या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित या दिया गया कोई दंडादेश या आदेश हो) के विरुद्ध उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। यह कि इसमें पूर्वोक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद, उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी भी खंडपीठ न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा भारत सरकार अधिनियम की धारा 108 के तहत पारित निर्णय के विरुद्ध उक्त उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसे सन् उन्नीस सौ उनतीस के फरवरी महीने की पहली तिथि को या उसके बाद पारित किया गया हो, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय

क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किए गए हों, जहाँ निर्णय देने वाला न्यायाधीश यह प्रमाणित करता है कि मामला अपील योग्य है:

किंतु उक्त उच्च न्यायालय या ऐसी खंडपीठ के अन्य फैसलों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार हमें, हमारे उत्तराधिकारियों, या हमारी या उनकी प्रिवी काउंसिल को होगा, जैसा कि इसमें आगे उपबंधित है।

11. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उक्त क्षेत्रों के दीवानी न्यायालयों और उन सभी अन्य न्यायालयों के लिए अपीलीय न्यायालय होगा जिनकी अपील वर्तमान में सदर दीवानी अदालत में होती है, और ऐसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून या नियम के आधार पर उक्त उच्च न्यायालय में अपील के योग्य हैं।

12. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उक्त क्षेत्रों के भीतर नाबालिगों, मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल व्यक्तियों तथा उनकी संपत्तियों के संबंध में वैसी ही शक्ति और अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे कि फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय, बंगाल द्वारा फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के बंगाल डिवीजन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यह वर्तमान में लागू किसी भी कानून या नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित की जाने वाली विधि

13. हम आगे यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उसके असाधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आने वाले प्रत्येक मामले में लागू होने वाले कानून या साम्या, जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए, वही होंगे जो कानून या साम्या लागू, क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी स्थानीय न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में लागू किए जाते हैं।

14. हम आगे यह भी आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उसके समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में लागू किए जाने वाले कानून या न्याय और सद्विवेक का नियम, वही कानून या न्याय और सद्विवेक का नियम होगा जो उस न्यायालय को, जिसमें ऐसे मामले की कार्यवाही मूल रूप से शुरू की गई थी, उस मामले में लागू करना चाहिए था।

आपराधिक क्षेत्राधिकार

15. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उक्त क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के संबंध में सामान्य मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार वैसा ही होगा, जैसा कि फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय, बंगाल का इस राजाज्ञा के प्रकाशन की तिथि पर आपराधिक क्षेत्राधिकार होगा, और ऐसे व्यक्तियों पर उक्त अंतिम-वर्णित उच्च न्यायालय का आपराधिक क्षेत्राधिकार ऐसी तिथि से समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसी तिथि को उक्त अंतिम-वर्णित उच्च न्यायालय में शुरू हो चुकी आपराधिक कार्यवाही ऐसे जारी रहेगी मानो यह राजाज्ञा जारी न की गई हो।

16. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विधि के अनुसार उसके समक्ष लाए गए सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम होगा।

17. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सदर निज़ामत अदालत के अधीक्षण के अधीन किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, और उसे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अपने विवेक से मुकदमा चलाने का अधिकार होगा, जिसे किसी मजिस्ट्रेट या इस निमित्त सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों के तहत उसके समक्ष लाया गया हो।

18. हम आगे यह भी आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा गठित मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार वाली अदालतों के समक्ष किसी भी आपराधिक मुकदमे में पारित या दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की उक्त उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यह ऐसे किसी भी न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि वह कानून के किसी भी बिंदु या बिंदुओं को उक्त उच्च न्यायालय की राय के लिए सुरक्षित रखे।

19. हम आगे यह भी निर्देश देते हैं कि पूर्व में आरक्षित किए गए कानून के ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर, उक्त उच्च न्यायालय को मामले या उसके आवश्यक हिस्से की समीक्षा करने और कानून के ऐसे बिंदु या बिंदुओं का अंतिम रूप से निर्धारण करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, और तत्पश्चात मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश में परिवर्तन करने तथा ऐसा निर्णय और दंडादेश पारित करने का अधिकार होगा जो उक्त उच्च न्यायालय को उचित प्रतीत हो।

20. हम आगे यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उक्त क्षेत्रों के आपराधिक न्यायालयों और उन सभी अन्य न्यायालयों के लिए अपील न्यायालय होगा, जिनसे वर्तमान में उक्त क्षेत्रों के लिए सदर निज़ामत अदालत में अपील की जाती है, और यह ऐसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून के आधार पर उक्त सदर अदालत में अपील के अधीन हैं।

21. हम आगे यह भी आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन आपराधिक न्यायालयों के लिए संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालय होगा, और उसे सत्र न्यायाधीशों या किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित ऐसे सभी मामलों को सुनने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी, जो अब उक्त क्षेत्रों के सदर निजामत अदालत को मामले भेजने के लिए प्राधिकृत हैं और आपराधिक क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा विचारित ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं जो अब सदर निजामत अदालत के संदर्भ या संशोधन के अधीन हैं।

22. हम आगे यह भी आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय को किसी भी आपराधिक मामले या अपील को किसी भी न्यायालय से समान या उच्च क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति होगी, और किसी भी आपराधिक मामले की प्रारंभिक जांच या विचारण का निर्देश किसी ऐसे अधिकारी या न्यायालय को देने की भी शक्ति होगी जो अन्यथा इसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हो, भले ही ऐसा मामला सामान्य रूप से किसी अन्य अधिकारी या न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता हो।

आपराधिक विधि

23. हम आगे यह भी आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए लाए गए सभी व्यक्ति, चाहे अपनी मूल अधिकारिता के प्रयोग में, या अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता के प्रयोग में, जिन पर अधिनियम संख्या XLV वर्ष 1860, जिसे "भारतीय दंड संहिता" कहा जाता है, द्वारा या इस राजाज्ञा के प्रकाशन से पूर्व या पश्चात उक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले या उसे निरसित करने वाले किसी अधिनियम द्वारा उपबंधित, किसी अपराध का आरोप है, उक्त अधिनियम या अधिनियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं।

उच्च न्यायालय के सामान्य बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग

24. हम आगे यह भी निर्देश देते हैं कि जब भी गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के नियंत्रण के अधीन आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट-गवर्नर को यह उचित लगे कि इस राजपत्र या संदर्भित अधिनियम द्वारा उक्त उच्च न्यायालय में निहित अधिकार और शक्ति का प्रयोग, उक्त क्षेत्रों की सदर दीवानी अदालत या सदर निजामत अदालत के अधीक्षण के अधीन किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी स्थान पर किया जाना चाहिए, जो उक्त उच्च न्यायालय के बैठने के सामान्य स्थान के अलावा हो, या सर्किट के माध्यम से कई स्थानों पर हो, उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे स्थानों पर मामलों की कार्यवाही भारत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के अनुसार संचालित होगी।

वसीयती और गैर-वसीयती क्षेत्राधिकार

25. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास वही शक्ति और प्राधिकार होगा, जो बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्तियों की अंतिम वसीयतों के प्रोबेट और वस्तुओं, संपत्तियों, क्रेडिट और अन्य सभी प्रभावों के प्रशासन पत्र के संबंध में उक्त फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय, बंगाल द्वारा उक्त क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्रयोग किया जाता है, और यह कि इसके संबंध में उक्त अंतिम उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस राजाज्ञा के प्रकाशन की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

बशर्ते कि उक्त अंतिम उल्लिखित उच्च न्यायालय में उपरोक्त मामलों के संबंध में पहले से शुरू की गई कोई भी कार्यवाही इस प्रकार जारी रहेगी मानो ये राजाज्ञा जारी न की गई हो:

बशर्ते कि इन घोषणा पत्रों में निहित कोई भी बात भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके द्वारा किसी अन्य न्यायालय को ऐसे प्रोबेट और प्रशासन पत्र जारी करने की शक्ति दी गई है।

वैवाहिक क्षेत्राधिकार

26. हम यह भी आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उक्त क्षेत्रों में ईसाई धर्म मानने वाले हमारे नागरिकों के बीच वैवाहिक मामलों में क्षेत्राधिकार होगा: बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात उक्त क्षेत्रों में वैध रूप से अधिकार प्राप्त किसी भी न्यायालय द्वारा वैवाहिक मामलों में किसी भी अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यदि वह न्यायालय शाही राजपत्र द्वारा स्थापित नहीं है।

एकल न्यायाधीशों और खण्डपीठ न्यायालयों की शक्तियाँ

27. हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए जाने वाले किसी भी कार्य को, भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा एक सौ आठ के अनुसरण में ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त या गठित किसी भी न्यायाधीश या उसके किसी भी खण्डपीठ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, और यदि ऐसे खण्डपीठ न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हों और किसी बिंदु पर दिए जाने वाले निर्णय के संबंध में न्यायाधीशों की राय भिन्न हो, तो ऐसे बिंदु का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि बहुमत हो; अन्यथा, यदि न्यायाधीशों की राय बराबर हो, तो वे उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे असहमत हैं और फिर उस बिंदु पर मामले की सुनवाई अन्य न्यायाधीशों में से एक या अधिक द्वारा की जाएगी और उस बिंदु का निर्णय उन न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनमें वे न्यायाधीश भी शामिल हैं जिन्होंने पहली बार सुनवाई की थी।

सिविल प्रक्रिया

28. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को समय-समय पर ऐसे नियम और आदेश बनाने का अधिकार होगा, जिनका उद्देश्य गवर्नर-जनरल इन काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम सं. VIII, वर्ष ग्यारह सौ उनसठ के सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और भारत के सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा इसमें संशोधन या परिवर्तन करके बनाए गए या बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों को क्रमशः वसीयती, गैर-वसीयती और वैवाहिक क्षेत्राधिकार के सभी मामलों में यथासंभव अनुकूल बनाना हो।

आपराधिक प्रक्रिया

29. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष उसके सामान्य मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी आपराधिक मामलों की कार्यवाही, भारत के सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में बनाए गए या बनाए जा सकने वाले कानून के अधीन, इस राजाज्ञा के प्रकाशन से ठीक पहले फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय, बंगाल में लागू प्रक्रिया एवं प्रथा के अनुसार विनियमित की जाएगी, अन्य सभी आपराधिक मामलों की कार्यवाही, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम सं. 25 सन् 1861 द्वारा निर्धारित आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, या उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए या बनाए जा सकने वाले अन्य कानूनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

प्रिवी काउंसिल में अपील

30. हम आगे यह आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर और उक्त उच्च न्यायालय या किसी खंडपीठ न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दिए गए किसी अंतिम निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध, जो आपराधिक क्षेत्राधिकार का न हो, और जिसके खिलाफ इस राजाज्ञा के 10वें खंड में निहित प्रावधान के तहत उक्त उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, हमें, हमारी प्रिवी काउंसिल, हमारे उत्तराधिकारियों व उनकी प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, विवादित राशि या मामला दस हजार रुपये से कम मूल्य का न हो, या ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति से जुड़े किसी दावे, मांग या प्रश्न से संबंधित हो, या किसी अन्य अंतिम निर्णय, डिक्री या आदेश से होगा, जो अपील पर या अन्यथा पूर्वोक्त रूप से दिया गया हो, जब उक्त उच्च न्यायालय यह घोषित करेगा कि यह मामला हमें, हमारी प्रिवी काउंसिल या हमारे उत्तराधिकारियों, उनकी प्रिवी काउंसिल में अपील करने के लिए उपयुक्त है, जो हमेशा उन नियमों और आदेशों के अधीन होगा जो वर्तमान में लागू हैं या समय-समय पर उक्त क्षेत्रों की न्यायालयों से हमारी काउंसिल में अपील के संबंध में बनाए जा सकते हैं, सिवाय उस हद तक जहाँ तक उक्त मौजूदा नियमों और आदेशों में इसके द्वारा संशोधन किया गया है, और उन अन्य नियमों और आदेशों के भी अधीन होगा जो हम अपनी प्रिवी काउंसिल की सलाह से इस संबंध में भविष्य में बना सकते हैं।

31. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अपने विवेकानुसार, किसी पक्षकार की याचिका पर, जो उक्त उच्च न्यायालय के किसी प्रारंभिक या अंतरिम निर्णय, आदेश या दण्डादेश से व्यथित हो, उसे अपील करने की अनुमति देने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह कार्यवाही आपराधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आती हो।

32. हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश या दण्डादेश से, या किसी भी आपराधिक मामले में जहां कानून के कुछ बिंदुओं को उक्त उच्च न्यायालय की राय के लिए पूर्व निर्धारित तरीके से किसी भी न्यायालय द्वारा आरक्षित रखा गया हो जिसने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो, ऐसे निर्णय, आदेश या सजा से पीड़ित व्यक्ति को हमारे, हमारे उत्तराधिकारियों या परिषद में उत्तराधिकारियों के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उक्त उच्च न्यायालय यह घोषित करे कि मामला ऐसी अपील के लिए उपयुक्त है और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि

उक्त उच्च न्यायालय स्थापित करे या आवश्यक समझे, हमेशा ऐसे नियमों और आदेशों के अधीन जो हम अपनी प्रिवी काउंसिल की सलाह से भविष्य में इस संबंध में बना सकते हैं।

33. हम आगे यह आदेश देते हैं कि इलाहाबाद स्थित उक्त उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, सजा या डिक्री के विरुद्ध हमारे समक्ष, हमारे प्रिवी काउंसिल या हमारे उत्तराधिकारियों या उनके प्रिवी काउंसिल के समक्ष की गई सभी अपीलों के मामलों में, उक्त उच्च न्यायालय अपील के विषय से संबंधित सभी साक्ष्यों, कार्यवाहियों, निर्णयों, डिक्री और आदेशों की एक सत्य और सही प्रति हमें, हमारे प्रिवी काउंसिल या हमारे उत्तराधिकारियों या उनके प्रिवी काउंसिल को प्रमाणित करके भेजेगा। ऐसी प्रतियों पर उक्त उच्च न्यायालय की मुहर लगी होगी और उक्त उच्च न्यायालय हमें, हमारे प्रिवी काउंसिल या हमारे उत्तराधिकारियों या उनके प्रिवी काउंसिल को उक्त न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा या उनमें से किसी न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या निर्णय के कारणों की एक प्रति भी प्रमाणित करके भेजेगा।

और हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय हमारे, हमारे उत्तराधिकारियों या वारिसों के समक्ष अपील के सभी मामलों में, ऐसे निर्णयों और आदेशों का पालन करेगा और उन्हें निष्पादित करेगा या निष्पादित करवाएगा, जैसा कि हम, हमारे उत्तराधिकारी या वारिस, हमारी या उनकी प्रिवी काउंसिल में उचित समझें, उस तरीके से जैसे उक्त उच्च न्यायालय के किसी मूल निर्णय, डिक्री या डिक्री आदेश या अन्य आदेश या नियम को निष्पादित किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था।

सरकार द्वारा अभिलेखों आदि के लिए अनुरोध

34. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सरकार द्वारा अभिलेखों, प्रतिवेदनों और विवरणों के लिए की गई ऐसी सभी आवश्यकताओं का अनुपालन ऐसे प्रारूप और रीति से करे जो सरकार उचित समझे।

35. हम आगे यह आदेश और घोषणा करते हैं कि हमारे इस राजपत्र के सभी प्रावधान विधान परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन हैं, और भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा इकहत्तर के तहत परिषद में गवर्नर जनरल की शक्तियों के अधीन हैं, और आपातकाल के मामलों में उस अधिनियम की धारा बहत्तर के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों के अधीन हैं, और इन्हें सभी मामलों में संशोधित और परिवर्तित किया जा सकता है।

इसके प्रमाण स्वरूप हमने अपने इस राजपत्र को जारी करवाया है।

17 मार्च, शासन वर्ष- 29वाँ, वेस्टमिंस्टर

महारानी के हस्ताक्षर के तहत वारंट द्वारा।

सी. रोमिली